फार्म - पन्द्रह

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-38(1) का परन्तुक एवं नियम-38(2) देखें]

द कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 के अंतर्गत पंजीयन के संबंध में ट्रान्सपोर्टर, कैरियर व फॉरवर्डिंग एजेण्ट द्वारा दी जाने वाली सूचना

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,
वाणिज्य कर सर्किल,

महोदय,

सर्वश्री ---------- जिसका मुख्य व्यापार स्थल ---------- है एवं जो वाणिज्य कर विभाग ---------- के खण्ड / सर्किल---------- के लोकल अधिक्षेत्र में है, का द कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त है एवं पंजीकरण संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ आवंटित की गयी है।

तिथि - आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान - प्रास्थिति

ट्रान्सपोर्टर, कैरियर या फॉरवर्डिंग एजेण्ट का ट्रेड/ नाम																	

संलग्नकों का विवरण:

द कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 के अंतर्गत निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।

नोट - यह प्रार्थना पत्र नियम-38(4) में उल्लिखित अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही हस्ताक्षरित की जाएगी, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(1) एकल स्वामित्व की दशा में स्वामी द्वारा; या

(2) अन्य साझीदारों द्वारा अधिकृत कोई साझीदार द्वारा; या

(3) हिन्दु अविभाजित परिवार के मामले में कर्ता द्वारा; या

(4) लिमिटेड कंपनी की दशा में मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा; या

(5) सोसाईटी या क्लब की दशा में प्रेसीडेन्ट या सेक्रेटरी द्वारा; या

(6) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के विभाग की दशा में विभागाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; या

(7) अवयस्क के नाम पर व्यापार होने की दशा में अवयस्क के संरक्षक द्वारा; या

(8) अक्षम व्यक्ति के नाम पर व्यापार की दशा में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीधारक अधिकृत व्यक्ति द्वारा; या

(9) ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी द्वारा